मनोजकुमार बनाम सत्यनारायण

किस्म मुकदमा २२५ मु. नं0 वर्ष 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र	
16.5.18	अपील दर्ज रजिस्टर हो । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि आराजी खoनं0 124 रकबा 1.43 हैक्टर वाके ग्राम कुदन तहसील धोद जिला सीकर में अपीलान्ट 3/4 हिस्से का रेकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा 1/4 हिस्से का मक्खन पुत्र नाथू खातेदार दर्ज है । जिसका स्वर्गवास हो जाने पर उसके स्थान पर उसके वारिस रेस्पोन्डेन्ट सं0-1 से 5 काबिज खातेदार काश्तकार है ।अपीलान्ट निउक्त आराजी में 1/2 हिस्सा रेकार्डेड खातेदार काश्तकार रामेश्वर पुत्र जीवणराम से दिनांक 10-6-1991 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त रामेश्वर उक्त आराजी के 1/2 हिस्से का रेकार्डेड खातेदार होकर काबिज था जिसने 1/4 हिस्सा उसी विक्रय पत्र के द्वारा अपने पुत्र नन्दकिशोर को बेचान किया था । उसके पश्चात नन्दकिशोर से उक्त 1/4 हिस्सा अपीलान्ट ने दिनांक 12-7-2002 को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया । इस प्रकार अपीलान्ट उक्त आराजी का 3/4 हिस्से का रेकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है ।रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 से 5 उक्त आराजी के 1/4 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट अपने हिस्से की आराजी की अलग सींव नींव कायम कर काबिज है तथा रेस्पोन्डेन्ट सं0-1 से 5 मक्खन की खातेदारी की 1/4 हिस्से पर काबिज है विवादित आराजी का खाता शामलाती है।मौके पर बाहमी बंटवारा किया हुआ है।रेस्पोन्डेन्ट मौके पर बाहमी बंटवारे के अनुसार कायम नींव सींव को तोड फोड कर अपीलान्ट को नुकशान पहुचाने की	ਓਰਰਰ

में की परिवर्तन की धमकी दी जिस पर अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा मय प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया किन्तु अदालत मातहत ने केवल प्रार्थी के हिस्से तक आराजी का बैचान नहीं करने का आदेश दिया है ।जबकि अदालत मातहत को इस प्रकार के प्रार्थना पत्र में राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश दिया जाना चाहिये जैसा आर0एस0डब्लू0 2011(1) राज0 पेज-69 में स्पष्ट किया है ।अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने अपने निर्णय में विवादित आराजी में प्रार्थी के हिस्से तक की आराजी को विक्रय नहीं करने के रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया गया है। अदालत मातहत का आदेश अन्तरिम आदेश है। प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में निर्णित किया जाना है । इस कारण अपीलान्ट की अपील को इसी स्तर पर रिमाण्ड किया जाना उचित मानते है ।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर प्रार्थना पत्र का 30 दिन में अन्तिम रूप से निस्तारण करें । तब तक उभय पक्ष रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त आदेश 30 दिन तक ही प्रभावी रहेगा । पक्षकार अदालत मातहत में नियत पेशी पर उपस्थित होवें ।

निर्णय सुनाया गया ।

16/5/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर